भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS सीमाशुल्क गृह,विलिंग्डन आईलेंड,कोचीन

CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: www.cochincustoms.gov.in Control Room: 0484-2666422 E-mail: cochincustoms@nic.in Fax: 0484-2668468

नियुक्ति प्रस्ताव OFFER OF APPOINTMENT

विषय: कर्मचारी चयन आयोग, आशुलिपिक परीक्षा-2019 के आधार पर सीमा शुल्क गृह, कोचीन में आशुलिपिक श्रेणी-। के संवर्ग में नियुक्ति- संबंधित।

Sub: Appointment to the cadre of Stenographer Grade-I in Custom House, Cochin on the basis of Staff Selection Commission, Stenographer Examination, 2019 - Reg.

एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कर्मचारी चयन आयोग ने आपको वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में 35,400/- रुपये के मूल वेतन के साथ और इसके तहत स्वीकार्य सामान्य भत्ते नियम के अधीन सीमा शुल्क गृह, कोचीन में परिवीक्षा पर आशुलिपिक श्रेणी-I के पद पर नियुक्ति के लिए एक उम्मीदवार के रूप में प्रायोजित किया है । नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी है और उम्मीदवार की सेवाएं बिना किसी सूचना के और बिना कोई कारण बताए या उम्मीदवार के शारीरिक रूप से अनुपयुक्त पाए जाने पर किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।

It is hereby informed that the Staff Selection Commission has sponsored you as a candidate for appointment to the post of Stenographer Grade-I on probation in Custom House, Cochin in Level 6 of Pay Matrix with Basic Pay of Rs 35,400/- and usual allowances admissible under the rules. The appointment is purely temporary and the services of the candidate are liable to be terminated any time without notice and without assigning any reasons or if the candidate is found physically unfit.

2. निय्क्ति भारतीय गणराज्य के लिए "निष्ठा की शपथ" एवं उम्मीदवारों द्वारा केंद्र या राज्य सरकार के दो राजपत्रित अधिकारियों या वैतनिक मजिस्ट्रेट से संलग्न रूप में चिरत्र के प्रमाण पत्र के प्रस्त्तीकरण और संलग्न प्रपत्र में प्रस्त्त इस घोषणा करने के अधीन है की उम्मीदवार कि एक से अधिक जीवित पिल्वयां नहीं हैं, तो निय्क्ति इस संबंध में आवश्यकता के प्रवर्तन से छूट के अधीन होगी। उम्मीदवार को कम से कम सिविल सर्जन या उच्चतर पद के चिकित्सक से फिटनेस का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

The appointment is subject to the candidates taking "Oath of Allegiance" to the Indian Republic and production of certificate of character, in the enclosed form from two Gazetted officers of the Central or State Government or Stipendiary Magistrates and to the submission of declaration in the enclosed form by the candidate that he has not more than one wife living, the appointment will be subject to his being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf. The candidate should also produce a certificate of fitness from a physician not below the rank of a Civil Surgeon.

3. उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार करता है, तो वह समय-समय पर संशोधित केंद्र सरकार के रोजगार में विरष्ठ / अवर सेवकों की सेवाओं की शर्तों के लिए निर्धारित नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा और उनसे अपेक्षित है निर्धारित प्रावधानों से खुद को परिचित करेंगे। इसके अलावा, उसे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के भीतर पद के लिए निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, ऐसा न करने पर वह विभागीय परीक्षा नियमों में निर्धारित उपयुक्त कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। वह C.C.S (छुट्टी)

नियम 1972 द्वारा शासित होगा और यदि अंततः उसका सेवा में स्थायीकरण हो जाता है, तो वह नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (DCPS-NPS) के अधीन होगा।

The candidate is also informed that if he accepts the offer, he will be governed by the Rules and Regulations prescribed for the conditions of services of Superior / Inferior servants in the employment of the Central Government as amended from time to time and that he is expected to acquaint himself with the prescribed provisions. Further he will be required to pass the Departmental Examination prescribed for the post within two years from the date of joining duty failing which he is liable for suitable action as stipulated in the Departmental Examination Rules. He will be governed by the C.C.S (Leave) Rules 1972 and if he is eventually confirmed, he will be governed by the new Defined Contributory Pension Scheme (DCPS).

4. यदि उम्मीदवार अन्सूचित जाति / अन्सूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, तो उसे अन्सूचित जाति / अन्सूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्त्त करना चाहिए।

In case the candidate belongs to Scheduled Castes /Scheduled Tribes/ Other Backward Community, he should produce the Scheduled Castes / Scheduled Tribe Community/ Other Backward Community Certificate.

5. उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि अन्य कार्यालयों में रोजगार के लिए उसका आवेदन, चाहे वह सरकार हो या अन्यथा, सामान्य रूप से अग्रेषित नहीं किया जाएगा। इस तरह के आवेदन किसी भी मामले में, उचित माध्यम से सीमा शुल्क आयुक्त को अग्रेतर प्रेषण (यदि अनुमित दी जाती है) के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए और इन कार्यालयों को सीधे नहीं भेजे जाने चाहिए।

The candidate is also informed that his application for employment to other offices, whether Government or otherwise will not ordinarily be forwarded. Such applications should in any case, be submitted to the Commissioner of Customs through the proper channel for onward transmission (if permission is granted) and not direct to these offices.

6. यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत कोई भी घोषणा या दी गई कोई जानकारी झूठी साबित होती है या यदि उम्मीदवार ने जानबूझ कर किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया है, तो वह सेवा से हटाने और ऐसी अन्य कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि सरकार आवश्यक समझ सकती है।

If any declaration given or information furnished by the candidate proves to be false or if the candidate is found to have willfully suppressed any material information, she/he will be liable for removal from service and such other action, as Government may deem necessary.

7. यदि उम्मीदवार उपरोक्त शर्तों पर पद स्वीकार करता है, तो उसे 22.11.2022 को या उससे पहले सहायक आय्क्त (स्थापना), सीमा श्ल्क गृह, कोचीन को सेवा के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। अस्वीकारिकरण की सूचना डाक द्वारा वापस सूचित कर दी जानी चाहिए। यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है या उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक सेवा के लिए रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो यह निय्क्ति प्रस्ताव रदद माना जाएगा।

In case the candidate accepts the post on the above conditions, she/he should report for duty to the Assistant Commissioner (Estt.), Custom House, Cochin **on or before 22.11.2022.** Non acceptance should be intimated by return of post. If no reply is received or the candidate fails to report for duty by the prescribed date, the offer of appointment will be treated as cancelled.

8. फिर भी, यदि निर्दिष्ट अविध के भीतर, उम्मीदवार से समय विस्तार के लिए अनुरोध प्राप्त होता है, तो विभाग द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है लेकिन तीन महीने से अधिक विस्तार उदारतापूर्वक नहीं दिया जाएगा और इसे केवल अपवाद के रूप में दिया जाएगा जहां तथ्य और परिस्थितियां इसकी पुष्टि करती हों और किसी परिस्थिति मे नियुक्ति के मूल प्रस्ताव के जारी होने

की तारीख से अधिकतम छह महीने तक और नियुक्ति की पेशकश जारी होने की तारीख से छह महीने की समाप्ति के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। यदि आप उपरोक्त छह महीने की अविध के भीतर कार्यभार ग्रहण करते हैं, तो आपकी विरष्ठता उस सेवा/पद पर लागू विरष्ठता नियमों के तहत निर्धारित की जाएगी, जिस पर आपको नियुक्त किया जा रहा है, विरष्ठता के किसी भी क्षिति के बिना।

If however, within the specified period, a request is received from the candidate for extension of time, it may be considered by the department but extension beyond three months will not be granted liberally and it will be granted only as an exception where facts and circumstances so warrant and if any case only up to a maximum of six months from the date of issue of the original offer of appointment and offer of appointment would lapse automatically after the expiry of six months from the date of issue. In case you join within the above period of six months you will have seniority fixed under the seniority rules applicable to the service/post concerned to which you are being appointed, without any depression of seniority.

9. नियुक्ति के समय उम्मीदवारों को किसी भी यात्रा या अन्य खर्च का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा।

The department will not pay any travelling or other expenses to the candidates at the time of joining.

10. नियुक्ति के लिए उपस्थित होने के समय, उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए फोटोकॉपी के 3 सेट के साथ निम्नलिखित दस्तावेज (मूल रूप में) लाने चाहिए:

At the time of joining, the candidates should bring the following documents (in original) along with 3 sets of photocopy for verification:

- a) Matriculation / High School Certificate showing Date of Birth.
- **b)** Academic Certificates in support of Educational Qualification.
- c) Caste Certificate in case of SC/ST/OBC.
- d) Certificate in case of Person with disabilities (Divyangjan) candidate.
- **e)** Character Certificate from two Gazetted officers of the Central or State Government or Stipendiary Magistrates.
- f) Certificate of fitness from a physician not below the rank of a Civil Surgeon.
- **g)** Discharge Certificate from previous employer in case the candidate is employed in any of the offices under the Central Government/State Government, Autonomous Body, and Public Sector Undertaking presently. The certificate should be obtained with reference to this Offer of Appointment.
- h) Aadhar card.
- 11. अन्प्रमाणन प्रपत्र, तीन प्रतियों में, विधिवत रूप से भरा ह्आ (केवल हाथ से) निय्क्ति के लिए उपस्थित होने के समय प्रस्त्त किया जाए।

The attestation form, **in triplicate**, may be duly filled (by hand only) and produced at the time of joining

12. कोविड-19 महामारी की परस्थिति के आलोक मे उम्मीदवारों को केरल सरकार के तात्कालिक प्रभावी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

Due to COVID-19 pandemic situation, you have to follow the extant guidelines issued by Govt. of Kerala.

13. उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि नियुक्ति अस्थायी है और जन्म तिथि/शैक्षणिक योग्यताचरित्र और पूर्ववृत्त/, जाति जनजाति/प्रमाणपत्रों के सत्यापन के अधीन है और

यदि सत्यापन से पता चलता है कि कोई भी दावा/सूचना झूठा है, उसकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्वाग्रह के भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए की जा सकने वाली कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी।

The candidate is also informed that the appointment is provisional and is subject to verification of Date of Birth/Educational Qualification/Character & Antecedents, Caste/Tribe certificates being verified through the proper channels and if the verification reveals that any of the claim is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificates.

(शुभा चंद्रन Subha Chandran) सहायक आयुक्त (स्थापना) Assistant Commissioner (Estt.)

प्रेषित To:

- 1. Shri Prince Soni, B-4/38, Sector-17, 1st Floor, Rohini, Delhi-89, North West Delhi, Delhi- 110 089.
- 2. Shri Antriksh Dagar, Sonipat, Sector-26, Mapsco, House No-223, Sonipat, Haryana- 131 001.
- 3. Shri Rishi Kesh Kumar, S/o- Arun Kumar, Vill- Atardah, P.O- Ramna, P.S-Sadar, Bihar- 842 002.

प्रतिलिपि Copy to: Supertindent (EDI)- to be published on website.

सलग्नक **Encl**: यथोक्त As above. (All forms & enclosures can be downloaded from Custom House website- http://www.cochincustoms.gov.in/default.php/offer_of_appointment)